

06 <sup>03</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली पेश हुई।  
अनुमति/ पीठार/ कोषी  
दौर मय/ कोषी  
पत्रावली पेश किया जा रहा है।  
दिनांक-12-03-18 को पेश हो।

12 <sup>03</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली पेश हुई।  
अनुमति/ पीठार/ कोषी  
दौर मय/ कोषी  
पत्रावली पेश किया जा रहा है।  
दिनांक-28-03-18 को पेश हो।

28 <sup>03</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वारीगण ने मुख्य परिण है। श्री राम प्रताप का शपथ-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु 10/05/18 को पेश हो।



10 <sup>05</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अफियान : न्याय आपूर्ति ट्रेड-2018 के तहत कैम्प स्थल अटल सेवा केंद्र चोमप्रोहितान में पेश हुई। वकील वारीगण ने मुताबिक रिपोर्ट नामा दवा डिक्री फरमाया जाने का निर्वेदन किया। वकील वारीगण के निर्वेदन पर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमदोपुर ने कोर्ट आपत्ति जाहीर नहीं की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट पेशद्वारा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से एवं लोक अदालत की भावना से वारीगण का वाद स्वीकार किया जाते योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जा

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

हैं तथा घोषणा इस आशय की जारी की जाती है  
कि:-

### आदेश

तब ग्राम पुणेहिताकावास प.ह. तपीपल्या  
तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित  
कृषि भूमि खसरा नं. 208 ता 213 एका 7.02  
हे. में बाकी नं. 1 को  $1/12$  हिस्सा, बाकी नं. 2 को  
 $1/36$  हिस्सा, बाकी नं. 3 को  $1/36$  हिस्सा, बाकी नं.  
4 को  $1/36$  हिस्सा का खातेदार नारायणका घोषित  
किया जाता है तथा उक्त  $1/6$  हिस्सा से जतिबादी  
नं. 1 ता 10 का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड से  
रजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व  
रिकॉर्ड में अमल दायर है तथा तदनुसार  
डिक्री पत्र जारी है। पत्रावली फ़ैसल शुमार  
हेकर नम्बर से कम है तथा बाक तहसील  
दाखिल दफ्तर है निर्दिष्ट मजमें आप सुनया  
गया।

जागीरध शाख  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत ..... सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम..... खण्डेला.....

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

① गौगाज \* बनाम ① प्रभातीलाह \*:

दावा बाबत घोषणा व युक्तती रिकॉर्ड

मुकदमा नम्बर :- 84/2017

निर्णय दिनांक :- 10/05/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी .

..... मिनजानिब मुददई रुबरु श्री रामबहादुर मिजापियाँ

..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तब ग्राम प्रोहितालाकाम प. ह. तपीपलगा तहसील श्रीवाघोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 208 ता 213 (कबा 7.02 हे. में कादी नं. 1 को 1/12 हिस्सा, कादी नं. 2 को 1/36 हिस्सा, कादी नं. 3 को 1/36 हिस्सा, कादी नं. 4 को 1/36 हिस्सा का खतमात कायतकात घोषित किया जाता है तथा प्रकृत 1/6 हिस्सा से प्रतिवादी नं. 1 ता 10 का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड से हटाफ किया जाता है।) उन्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दामद हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 10/05/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



*(Handwritten signature)*

(भागीरथ शाख)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	रुपया
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस	रुपया
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	रुपया
6 कमिश्नर की फीस	रुपया
7 आदेशिका की तामील	रुपया
जोड़	जोड़

✳ पुत्र खोंगाताम

② धन्नाताम पुत्र तनाताम

③ जेंसाताम पुत्र तनाताम

④ दिवपाल पुत्र तनाताम

समस्त जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर  
जिला सीकर राज.

— वादीगण

✳ पुत्र पीयाताम

② हटदेव पुत्र पीयाताम

③ भागूराम पुत्र पीयाताम

④ शृजमोहन पुत्र पीयाताम

⑤ घापू पालि सुखदेव

⑥ वाबुलाल पुत्र सुखदेव

⑦ गीता पुत्री सुखदेव

⑧ सजना पुत्री सुखदेव

⑨ लोयली पुत्री सुखदेव

⑩ मोहनी पुत्री सुखदेव

समस्त जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील

श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

⑪ भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

— प्रतिवादीगण



काजीरथ शाख  
(RAS)

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

